उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-06/2016/3584/41-2015-162 यो0/15

लखनऊ दिनांक 19 जनवरी, 2016

शासनादेश संख्या-141/2015/2064/41-15-162 यो0/2015, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 <u>का</u>

<u>शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में पर्यटन स्थल नैमिषारण्य के पर्यटन विकास हेतु धनराशि रू0 51.15 लाख (रू0 इक्यावन लाख पन्द्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-141/2015/2064/41-15-162 यो0/2015, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन के बिन्दु-7 में त्रुटिवश परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-29 सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के स्थान पर परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-2 सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ अंकित हो गया है। अत: सन्दर्भित शासनादेश के पृष्ठांकन के बिन्दु-7 में परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-2 सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के स्थान पर परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-29 सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ पढा जाय।

सम्बन्धित शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शिव कुमार पाठक
उप सचिव।

<u>संख्या-**06/2016/3584(1)/41-2015 तद् दिनांक**।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी, सीतापुर।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ
8- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-29 सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
9- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
11- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब- साइट पर 12- अंकित करना सुनिश्चित करें।

गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,
(विनय कुमार सिंह)

http://shasanadesh.up.nic.in

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in